बाल वाहिनियों का निरीक्षण किया

डूंगरपुर, (निसं)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,डूंगरपुर के अध्यक्ष सुनील कुमार पंचोली के निर्देशन में शुक्रवार को आसपुर क्षेत्र में परिवहन विभाग के सहयोग से स्कूली वाहनों बाल वाहिनियों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जो तस्वीरें सामने आईं, वे डराने वाली थी, जहाँ मासूम बच्चों की सुरक्षा को ताक पर रखकर उन्हें भेड बकरियों की तरह वाहनों में ठूँसा गया था।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अधिकांश बाल वाहिनियों में क्षमता से अधिक बच्चे बैठे थेए जिसे सचिव मनोज मीणा ने श्खुशियों की सवारी के नाम पर खतरे का सफर करार दिया।

ग्राम उत्थान शिविर का किया अवलोकन

■ उदयपुर दौरे पर रहे प्रमुख शासन सचिव श्री टी रविकांत

उदयपुर, (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में राज्य सरकार वर्तमान में गिरदावर सर्कल स्तर पर आयोजित किये जा रहे ग्राम उत्थान शिविरों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में खान एवं भू-विज्ञान विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं जिले के प्रभारी सचिव टी. रविकांत शुक्रवार को उदयपुर दौरे पर रहे। जिला कलक्टर एवं अन्य अधिकारी उनके साथ थे। इस दौरान उन्होंने घासा तहसील के खेमली में आयोजित ग्राम उत्थान शिविर का अवलोकन करते हुए विभिन्न विभागों द्वारा आमजन को प्रदान की जा रही सेवाओं की विस्तृत जानकारी ली तथा अधिकारियों को शिविरों के माध्यम से अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। अवलोकन के दौरान प्रभारी सचिव ने शिविर में लगाए गए विभागीय स्टॉल्स का निरीक्षण किया और अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति, लाभार्थियों की संख्या तथा मौके पर किए जा रहे समाधान कार्यों के बारे में चर्चा की। उन्होंने किसानों द्वारा प्रदर्शित जैविक उत्पादों का अवलोकन करते हुए उनकी सराहना की और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।शिविर में उपस्थित आमजन से संवाद करते हुए प्रभारी सचिव ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ पत्र सौंपे तथा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रशासनिक टीम की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ग्राम उत्थान शिविर ग्रामीण क्षेत्र में समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बन रहे हैं। प्रभारी एवं कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक सुधीर कुमार वर्मा ने बताया कि शिविर के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा स्वीकृत पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

हर नागरिक बीमा कवच अभियान

उदयपुर, (कासं)। भारतीय डाक विभाग द्वारा माह फरवरी 2026 माह के दौरान एक विशेष बीमा अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को डाक जीवन बीमा एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा के अंतर्गत बीमा सुरक्षा कवर प्रदान करना है। अभियान का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण, दूरदराज एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा एवं बीमा कवच उपलब्ध कराना है, ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना की स्थिति में उनके परिवार को आर्थिक संरक्षण मिल सके। अभियान को सफल बनाने तथा जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु प्रवर अधीक्षक डाकघर, उदयपुर मंडल के कार्यालय द्वारा दिनांक 5 फरवरी को सभी डायरेक्ट एजेंट्स, फील्ड अधिकारियों एवं संबंधित डीओ पीएलआई के साथ एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में अभियान की रणनीति, प्रचार-प्रसार एवं अंतिम छोर तक बीमा कवरेज सुनिश्चित करने के लक्ष्य पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रवर अधीक्षक डाकघर उदयपुर मण्डल द्वारा सभी फील्ड अधिकारियों एवं एजेंट्स को निर्देश दिया कि वे पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ कार्य करते हुए उदयपुर मंडल के प्रत्येक गांव, कस्बे एवं दूरस्थ क्षेत्र तक पहुंच सुनिश्चित करेंगे जिससे कि कोई भी नागरिक बीमा सुरक्षा से वंचित न रहे।

बीएन विवि फाइनल में पहुंची

उदयपुर, (कासं)। विद्या प्रचारिणी सभा भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय की मेजबानी में पहली बार हो रहे पांच दिवसीय वेस्ट जोन इंटर युनिवर्सिटी बास्केटबॉल प्रतियोगिता के चैथे दिन की प्रतियोगिता का शुभारंभ सुखाडिया विवि के कुलगुरू प्रो. बी.पी. सारस्वत, कार्यकारी अध्यक्ष प्रो. शिवसिंह सारंगदेवोत, मंत्री डॉ. महेन्द्र सिंह आगरिया, प्रबंध निदेशक मोहब्बत सिंह रूपाखेडी, संयुक्त मंत्री राजेन्द्र सिंह ताणा, वित्त मंत्री शक्ति सिंह कारोही, सदस्य प्रो. युवराज सिंह राठौड,.नवल सिंह जुड, करण सिंह उमरी, कमलेश्वर सिंह कच्छेर, महेन्द्र सिंह पाखंड, गजेन्द्र सिंह गटियावली, भंवर सिंह साकरियाखेडी, सुदर्शन सिंह कारोही, प्रताप सिंह बम्बोरा, कुलदीप सिंह ताल, महेन्द्र सिंह पाटिया, प्रो. चेतन सिंह चैहान, ने खिलाडियों का परिचय प्राप्त कर किया।

कांस्य पदक जीता

उदयपुर, (कासं)। देहरादून (उत्तराखंड) में 28 से 31 जनवरी तक आयोजित ऑल इंडिया नेशनल पेंसेक सिलाट चैंपियनशिप 2026 में उदयपुर के खिलाडी भावीन अनेजा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जूनियर केटेगरी के -83 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक (ब्रॉन्ज मेडल) अपने नाम किया। इस उपलब्धि पर उदयपुर पेंसेक सिलाट एसोसिएशन के सचिव हरीश कुमार सांवरिया बताया कि भावीन अनेजा की यह सफलता उनके निरंतर अभ्यास, अनुशासन और मेहनत का परिणाम है।

राजस्थान-सरकार

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमंद

क्रमांक:एफ 21/10(क)(01)(03)वि. एनओसी/न्याय/2026/601 दिनांक : 06/02/2026

सूचना पत्र

निदेशक (अधिकृत) हिन्दुस्तान जिंक लि.(यशद भवन, उदयपुर) द्वारा ग्राम दामोदरपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद में सर्वे नं. 488 **(Converted Khasara No. 485,484,487,488, 486,669/ 478 (Certificate Ref. No:L C / 2025-26/231866(17) Dated 20-06-2025) EM 1** में विस्फोटक मैगजीन भंडारण और उपयोग के लिये विस्फोटक रूल्स, 2008 के अंतर्गत प्रारूप **LE-3** में मैगजीन लाईसेन्स चाहने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

No.	Name and Description	Class	Division if any	Quantity	
				To be Possessed at any one time	To be used per day
1	Nitrate Mixture-Sluarry & Emulsion Explosives	2	0	20000 Kg	60000 Kg

अत एवं दी एक्सप्लोजिव्ज रूल्स सन् 2008 के नियम 103उप नियम-3 (ए) के अंतर्गत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त वर्णित स्थान पर प्रार्थी को मैगजीन स्वंय के उपयोगार्थ कब्जे रखने के लिये कि इजाजत दिये जाने के संबंध में आपत्ति हो तो वह इस सूचना पत्र की तारीख से एक माह के अंदर जो भी उजरात हो लिखित में इस कार्यालय में पेश करें। और साथ ही जो उजरात इस कार्यालय में पेश किये जावे उसकी प्रतिलिपि उजरात पेश करने वाले को प्रार्थी के पास सुनवाई की तारीख से सात दिन पूर्व पोस्टल सर्टिफिकेट द्वारा भिजा देवें। बाद खत्म मयाद कोई उजर काबिल समाअत न होगा। प्रत्येक उजरात पेश करने वाला व्यक्ति एवं प्रार्थी को इसी सूचना पत्र के द्वारा सूचित किया जाता है कि उजरात की सुनवाई की तारीख 09/03/2026 निश्चित की गई है, इस दिन इस कार्यालय में असालतन या वकालतन उपस्थित होवें।

(अरुण कुमार हसीजा)
जिला मजिस्ट्रेट, राजसमंद

राजस्थान-सरकार

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमंद

क्रमांक:एफ 21/10(क)(01)(03)वि. एनओसी/न्याय/2026/607 दिनांक : 06/02/2026

सूचना पत्र

निदेशक (अधिकृत) हिन्दुस्तान जिंक लि.(यशद भवन, उदयपुर) द्वारा ग्राम दामोदरपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद में सर्वे नं. 488 **(Converted Khasara No. 485,484,487,488, 486,669/ 478 (Certificate Ref. No:L C / 2025-26/231866(17) Dated 20-06-2025) EM 2** में विस्फोटक मैगजीन भंडारण और उपयोग के लिये विस्फोटक रूल्स, 2008 के अंतर्गत प्रारूप **LE-3** में मैगजीन लाईसेन्स चाहने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

No.	Name and Description	Class	Division if any	Quantity	
				To be Possessed at any one time	To be used per day
1	Nitrate Mixture-Sluarry & Emulsion Explosives	2	0	20000 Kg	60000 Kg

अत एवं दी एक्सप्लोजिव्ज रूल्स सन् 2008 के नियम 103उप नियम-3 (ए) के अंतर्गत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त वर्णित स्थान पर प्रार्थी को मैगजीन स्वंय के उपयोगार्थ कब्जे रखने के लिये कि इजाजत दिये जाने के संबंध में आपत्ति हो तो वह इस सूचना पत्र की तारीख से एक माह के अंदर जो भी उजरात हो लिखित में इस कार्यालय में पेश करें। और साथ ही जो उजरात इस कार्यालय में पेश किये जावे उसकी प्रतिलिपि उजरात पेश करने वाले को प्रार्थी के पास सुनवाई की तारीख से सात दिन पूर्व पोस्टल सर्टिफिकेट द्वारा भिजा देवें। बाद खत्म मयाद कोई उजर काबिल समाअत न होगा। प्रत्येक उजरात पेश करने वाला व्यक्ति एवं प्रार्थी को इसी सूचना पत्र के द्वारा सूचित किया जाता है कि उजरात की सुनवाई की तारीख 09/03/2026 निश्चित की गई है, इस दिन इस कार्यालय में असालतन या वकालतन उपस्थित होवें।

(अरुण कुमार हसीजा)
जिला मजिस्ट्रेट, राजसमंद

राजस्थान-सरकार

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमंद

क्रमांक:एफ 21/10(क)(01)(03)वि.एनओसी/न्याय/2026/613 दिनांक : 06/02/2026

सूचना पत्र

निदेशक (अधिकृत) हिन्दुस्तान जिंक लि.(यशद भवन, उदयपुर) द्वारा ग्राम दामोदरपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद में सर्वे नं. 488 **(Converted Khasara No. 485,484,487,488, 486,669/ 478 (Certificate Ref. No:L C / 2025-26/231866(17) Dated 20-06-2025) EM 3** में विस्फोटक मैगजीन भंडारण और उपयोग के लिये विस्फोटक रूल्स, 2008 के अंतर्गत प्रारूप **LE-3** में मैगजीन लाईसेन्स चाहने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

No.	Name and Description	Class	Division if any	Quantity	
				To be Possessed at any one time	To be used per day
1	Nitrate Mixture-Sluarry & Emulsion Explosives	2	0	12500 Kgs	37500 Kgs
2	Cast Booster Explosive	3	II	2000 Kgs	6000 Kgs
3	Detonating Fuse	6	II	50000 Mtrs	150,000 Mtrs

अत एवं दी एक्सप्लोजिव्ज रूल्स सन् 2008 के नियम 103उप नियम-3 (ए) के अंतर्गत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त वर्णित स्थान पर प्रार्थी को मैगजीन स्वंय के उपयोगार्थ कब्जे रखने के लिये कि इजाजत दिये जाने के संबंध में आपत्ति हो तो वह इस सूचना पत्र की तारीख से एक माह के अंदर जो भी उजरात हो लिखित में इस कार्यालय में पेश करें। और साथ ही जो उजरात इस कार्यालय में पेश किये जावे उसकी प्रतिलिपि उजरात पेश करने वाले को प्रार्थी के पास सुनवाई की तारीख से सात दिन पूर्व पोस्टल सर्टिफिकेट द्वारा भिजा देवें। बाद खत्म मयाद कोई उजर काबिल समाअत न होगा। प्रत्येक उजरात पेश करने वाला व्यक्ति एवं प्रार्थी को इसी सूचना पत्र के द्वारा सूचित किया जाता है कि उजरात की सुनवाई की तारीख 09/03/2026 निश्चित की गई है, इस दिन इस कार्यालय में असालतन या वकालतन उपस्थित होवें।

(अरुण कुमार हसीजा)
जिला मजिस्ट्रेट, राजसमंद

राजस्थान-सरकार

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमंद

क्रमांक:एफ 21/10(क)(01)(04)वि.एनओसी/न्याय/2026/619 दिनांक : 06/02/2026

सूचना पत्र

निदेशक (अधिकृत) हिन्दुस्तान जिंक लि.(यशद भवन, उदयपुर) द्वारा ग्राम दामोदरपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद में सर्वे नं. 486 **(Converted Khasara No. 485,484,487,488, 486,669/ 478 (Certificate Ref. No:L C / 2025-26/231866(17) Dated 20-06-2025) EM 4** में विस्फोटक मैगजीन भंडारण और उपयोग के लिये विस्फोटक रूल्स, 2008 के अंतर्गत प्रारूप **LE-3** में मैगजीन लाईसेन्स चाहने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

No.	Name and Description	Class	Division if any	Quantity	
				To be Possessed at any one time	To be used per day
1	Nitrate Mixture-Sluarry & Emulsion Explosives	2	0	12000 Kgs	36000 Kgs
2	Cast Booster Explosive	3	II	500 Kgs	1500 Kgs
3	Detonating Fuse	6	II	30000 Mtrs	90000 Mtrs
4	Detonators Electric and/or Ordinary	6	III	44000Nos	132000 Nos

अत एवं दी एक्सप्लोजिव्ज रूल्स सन् 2008 के नियम 103उप नियम-3 (ए) के अंतर्गत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त वर्णित स्थान पर प्रार्थी को मैगजीन स्वंय के उपयोगार्थ कब्जे रखने के लिये कि इजाजत दिये जाने के संबंध में आपत्ति हो तो वह इस सूचना पत्र की तारीख से एक माह के अंदर जो भी उजरात हो लिखित में इस कार्यालय में पेश करें। और साथ ही जो उजरात इस कार्यालय में पेश किये जावे उसकी प्रतिलिपि उजरात पेश करने वाले को प्रार्थी के पास सुनवाई की तारीख से सात दिन पूर्व पोस्टल सर्टिफिकेट द्वारा भिजा देवें। बाद खत्म मयाद कोई उजर काबिल समाअत न होगा। प्रत्येक उजरात पेश करने वाला व्यक्ति एवं प्रार्थी को इसी सूचना पत्र के द्वारा सूचित किया जाता है कि उजरात की सुनवाई की तारीख 09/03/2026 निश्चित की गई है, इस दिन इस कार्यालय में असालतन या वकालतन उपस्थित होवें।

(अरुण कुमार हसीजा)
जिला मजिस्ट्रेट, राजसमंद

कार्यालय नगर परिषद राजसमन्द, जिला-राजसमन्द

क्रमांक:न.प.रा/2025-26/4466 दिनांक : 05/02/2026

-:आपत्ती सूचना पत्र:-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री देवेन्द्र कुमार निष्कलंक पिता श्री राधाकृष्ण निष्कलंकनिवासी माहेश्वरी मोहल्ला राजसमन्द एवं श्री कैलाश निष्कलंक पिता श्री राधाकृष्ण निष्कलंक निवासी माहेश्वरी मोहल्ला राजनगर द्वारा राजस्व ग्राम किशोरनगर आराजी संख्या 823 /1, 823/ 2, 823/3 रकबा 02-17-00 बीघा में से नगरपरिषद द्वारा पटटा संख्या 1121 दिनांक 31.05.2004 को क्षेत्रफल 611.65 वर्गगज (202.77 वर्गगज की आवासीय एवं 408.88 वर्गगज का वाणिज्यिक) प्रयोजनार्थ का जारी किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त पट्टा संख्या 1121 दिनांक 31.05.2004 को जारी पट्टे में से भूखण्ड क्षेत्रफल 202.77 वर्गगज आवासीयप्रयोजनार्थ में से 1136.80 वर्गफीट का आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ करवाना चाहते है। उक्त भू -उपयोगपरिवर्तन करने में कोई आपत्ती हो तो 15 दिवस में अपनी आपत्ती लिखित में मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करे। बाद मियाद कोई आपत्ती स्वीकार्य नहीं होगी।

आयुक्त, नगरपरिषद राजसमन्द

कार्यालय नगर परिषद निम्बाहेड़ा जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/नपनि/जन.स्वा.//25-26/7219 दिनांक 02/02/2026

ई-निविदा सूचना 31/2025-26

नगरपरिषद निम्बाहेड़ा द्वारा नगर निकाय में अनुभवी फर्मा / ठेकेदारो से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूमेन्ट प्रक्रिया से वेबसाईड eproc.rajasthan.gov.in पर ऑन लाईन अल्पकालीन निविदा आमन्त्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विवरण sppp.rajasthan.gov.in के NIB Code **DLB2526B1070** पर भी देख सकते है :-

कार्य निविदा के कार्य	कुल 2 कार्य
निविदा की अनुमानित लागत	राशि 98.00 लाख रुपये
ऑनलाईन निविदा फार्म मिलने की दिनांक	02.02.2026 समय. प्रातः 10 बजे से 13.02.2026 प्रातः 11.00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा फार्म जमा कराने की अन्तिम दि.	13.02.2026 समय दोपहर : 2 बजे
ऑन लाईन राशि जमा करवाने की अन्तिम दिनांक	13.02.2026 प्रातः 11.00 बजे तक
तकनीकी बिड खोलने की दिनांक	13.02.2026 समय सायं: 5 बजे तक
वित्तीय बिड खोलने की दिनांक	दि. 13-02-2026 समय सायं 05 बजे तक
UBN DLB2526SLOB32790	DLB2526SLOB32791

विकास पंचोली (प्रशासक), कौशल कुमार खटूमरा (आयुक्त)- **नगर परिषद निम्बाहेड़ा**

कार्यालय नगर परिषद निम्बाहेडा जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक:-नपनि/हस्ता./167060/2025-26/7294-96 दिनांक-04/02/2026

-:आपत्ति सुचना:-

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि नगर पालिका निम्बाहेडा द्वारा राजस्व ग्राम निम्बाहेडा की आराजी नं. 3369/1008,3370/1009,3371/1010-1011,3372/1012-1013, 3374/1014, 3374/1015, 3375 /1018,1019 मी 1020, 1021, 1037, 1044-1045,1046,1047,1048 व 3376/2101/1015 में से 8951.66 वर्गगज भूखण्ड का आवासीय रूपान्तरण का पट्टा विलेख/मिसल क्रमांक 24/2007-08 दिनांक 30/07/2017 का पट्टा श्री दशरथ लाल -श्रीपाल-शोकिन -श्री रिखब कुमार-श्रवण कुमार-राजेन्द्र कुमार-सुभद्रा उर्फ लाली-श्यामा पिता श्री सागरमल जी जैन,श्रीमतीकमला बाई वेवा श्री सागरमल जैन,श्री बलवन्तकुमार-सुरेशकुमार-कान्तिलाल-श्रीमती प्रेमलता-विमला-मनोरमा अगुरबाला पिता श्री चांदमल जी निवासी निम्बाहेडा के नाम जारी जारी किया गया। मुल आंवटी / पट्टाधारीयों द्वारा रूपान्तरी भूखण्ड में से भूखण्ड सं. 16 साईज 1250 को जरीये विक्रय विलेख से श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री यशवन्तसिंह जी निवासी आर्दश कॉलोनी निम्बाहेडा को विक्रय किया गया। क्रेता श्रीमती विमला देवी पत्नि श्री यशवन्तसिह जी निवासी आर्दश कॉलोनी निम्बाहेडा द्वारा अपना क्रयशुदा भूखण्ड को जरीये विक्रय विलेख से श्रीमती धापुबाई पत्नि श्री शंभूलाल एवं श्री शंभूलालपिता श्री कन्हैयालाल को विक्रय किया गया। क्रेता श्रीमती धापुवाई पत्नि श्री शंभूलाल एवं श्री शंभूलालपिता श्री कन्हैयालाल द्वारा जरीये विक्रय से श्रीमती मंजू सिन्दूरिया पत्नि श्री राजमल सिन्दूरिया एवं श्रीअमित जैन पिता श्री आर एम.सिन्दूरिया निवासी वापू वस्ती भीलवाडा को विक्रय किया गया। क्रेता श्रीमती मंजू सिन्दूरिया पत्नि श्री राजमल सिन्दूरिया एवं श्री अमित जैन पिता श्री आर. एम. सिन्दूरिया निवासी बापूबस्ती भीलवाडा द्वारा भूखण्ड सं. 16 साईज 1250 के चैन दस्तावेज प्रस्तुत कर हस्तान्तरण अपने नाम सेकिये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अत: इस संबंध में किसी आस-पडोस/ परिवार जन या किसी व्यक्ति विशेष को कोई आपत्ति हो तो मय बुत के अन्दर मियाद 07 दिवस मे नगर परिषद निम्बाहेडा में,कार्यालय दिवस में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। बाद समयावधि कोई अपत्ति मान्य नही होगी, और आवेदक श्रीमती मंजू सिन्दूरिया पत्नि श्री राजमल सिन्दूरिया एवं श्री अमित जैन पिता श्री आर. एम.सिन्दूरिया निवासी बापू बस्ती गीलवाडा के नाम से हस्तान्तरण कि कार्यवाही प्रस्तावित कि जाकर आवेदक के पक्ष मे हस्तान्तरण प्रमाण पत्र जारी कर दिया जावेगा। "सूचित हो"

आयुक्त, नगर परिषद निम्बाहेड़ा

राजस्थान-सरकार

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमंद

क्रमांक:एफ 21/10(क)(01)(05)वि. एनओसी/न्याय/2026/625 दिनांक : 09/02/2026

सूचना पत्र

निदेशक (अधिकृत) हिन्दुस्तान जिंक लि.(यशद भवन, उदयपुर) द्वारा ग्राम दामोदरपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद में सर्वे नं. 484,485 **(Converted Khasara No. 485,484,487,488, 486,669/ 478 (Certificate Ref. No: L C / 2025-26/231866(17) Dated 20-06-2025) EM 5** में विस्फोटक मैगजीन भंडारण और उपयोग के लिये विस्फोटक रूल्स, 2008 के अंतर्गत प्रारूप **LE-3** में मैगजीन लाईसेन्स चाहने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

No.	Name and Description	Class	Division if any	Quantity	
				To be Possessed at any one time	To be used per day
1	Detonators Electric and/or Ordinary	6	III	200000 Nos	600000 Nos

अत एवं दी एक्सप्लोजिव्ज रूल्स सन् 2008 के नियम 103उप नियम-3 (ए) के अंतर्गत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त वर्णित स्थान पर प्रार्थी को मैगजीन स्वंय के उपयोगार्थ कब्जे रखने के लिये कि इजाजत दिये जाने के संबंध में आपत्ति हो तो वह इस सूचना पत्र की तारीख से एक माह के अंदर जो भी उजरात हो लिखित में इस कार्यालय में पेश करें। और साथ ही जो उजरात इस कार्यालय में पेश किये जावे उसकी प्रतिलिपि उजरात पेश करने वाले को प्रार्थी के पास सुनवाई की तारीख से सात दिन पूर्व पोस्टल सर्टिफिकेट द्वारा भिजा देवें। बाद खत्म मयाद कोई उजर काबिल समाअत न होगा। प्रत्येक उजरात पेश करने वाला व्यक्ति एवं प्रार्थी को इसी सूचना पत्र के द्वारा सूचित किया जाता है कि उजरात की सुनवाई की तारीख 09/03/2026 निश्चित की गई है, इस दिन इस कार्यालय में असालतन या वकालतन उपस्थित होवें।

(अरुण कुमार हसीजा)
जिला मजिस्ट्रेट, राजसमंद

उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांक : F-15 () Hudco/2026/1002 दि.: 4/02/26

आम सूचना

सर्व साधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता हैं कि प्राधिकरण द्वारा मेगा आवास योजना बेडवास के प्लॉट संख्या - M12-GF-02 योजना, उदयपुर का श्री हेमेंद्रसिंह शक्तावत पिता श्री प्रेमसिंह शक्तावत के नाम पर दिनांक 14.08.2017 आवंटन पत्र जारी किया गया। मूल आवंटी श्री हेमेंद्रसिंह शक्तावत पिता श्री प्रेमसिंह शक्तावत द्वारा उक्त प्लॉट की सम्पूर्ण किस्त राशि जमा कराये जाने से प्राधिकरण द्वारा इनके नाम पर दिनांक 08.06.2020 को कब्जा-पत्र जारी कर दि. 21.09.2022 को लीज-डीड जारी की गई जिसका श्री हेमेंद्रसिंह शक्तावत पिता श्री प्रेमसिंह शक्तावत द्वारा पंजीयन कार्यालय में पंजीयन नही करवाया गया। प्रार्थी श्री हेमेंद्रसिंह शक्तावत पिता श्री प्रेमसिंह शक्तावत द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर लीज-डीड की एक प्रति गुम होने जाने से पुनः लीज-डीड जारी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी ने प्राधिकरण कार्यालय में प्रार्थना-पत्र के साथ प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी कि गई लीज-डीड दि. 21.09.2022 की एक मूल प्रति, एक प्रति गुम हो जाने से दर्ज कराई गई ऑनलाइन गुमशुदगी की रिपोर्ट की प्रति, शपथ-पत्र तथा पहचान-पत्र इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त प्लॉट की पुनः लीज-डीड जारी करने का निवेदन किया है। इस बाबत किसी को कोई उजुर या इतराज हो तो अन्तर्मयाद 7 दिवस में प्राधिकरण कार्यालय में मय दस्तावेज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा बाद मयाद गुजरने उक्त प्लॉट की श्री हेमेंद्रसिंह शक्तावत पिता श्री प्रेमसिंह शक्तावत के नाम पर पुनः लीज-डीड जारी करने की कार्यवाही की जावेगी। प्रभारी अधिकारी - **हुडको शाखा**

उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

आम सूचना नाम संशोधन

यह कि मेरे कार्यार्थी सोहनी देवी पत्नी अनोप सिंह जाति रावत उम्र 46 वर्ष निवासी मिलयाला खेड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द, राजस्थान की होकर इनकी माता का नाम लाछु देवी (LASSU DEVI) पत्नि चज्जु सिंह (CHHAJU SINGH) निवासी दर्रा अजीतगढ़ तहसील भीम, जिला राजसमंद है जिनका निधन दिनांक 23/02/2025 को हो चुका है,जिसका ग्राम पंचायत अजीतगढ़ पंचायत समिति भीम द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या **08123006390005700012/25** है जो दिनांक 17/03/2025 को जारी हुआ है।

यह कि मेरी कार्यार्थी की माता का नाम त्रुटिवश लक्ष्मी देवी पत्नी सेसू सिंह दर्ज हो गया है। जबकि लक्ष्मी देवी व लाछु देवी पत्नी चज्जु सिंह एक ही महिला के नाम है। यह कि मेरी कायार्थी की माता के आधार कार्ड संख्या **5105 3424 6776** में एवं स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा भीम के बैंक खाता संख्या **51041351463**में नाम लाछु देवी(LASSU DEVI) पत्नि चज्जु सिंह (CHHAJU SINGH) दर्ज है। यह कि उपरोक्तानुसार मेरी कार्यार्थी की माता के मृत्यु प्रमाण पत्र मे मेरी कार्यार्थी की माता के मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम लाछु देवी (LASSU DEVI) पत्नि चज्जु सिंह (CHHAJU SINGH) दर्ज कर संशोधन करवाना है जो सही व सत्य है।

दिनांक:06/02/2026
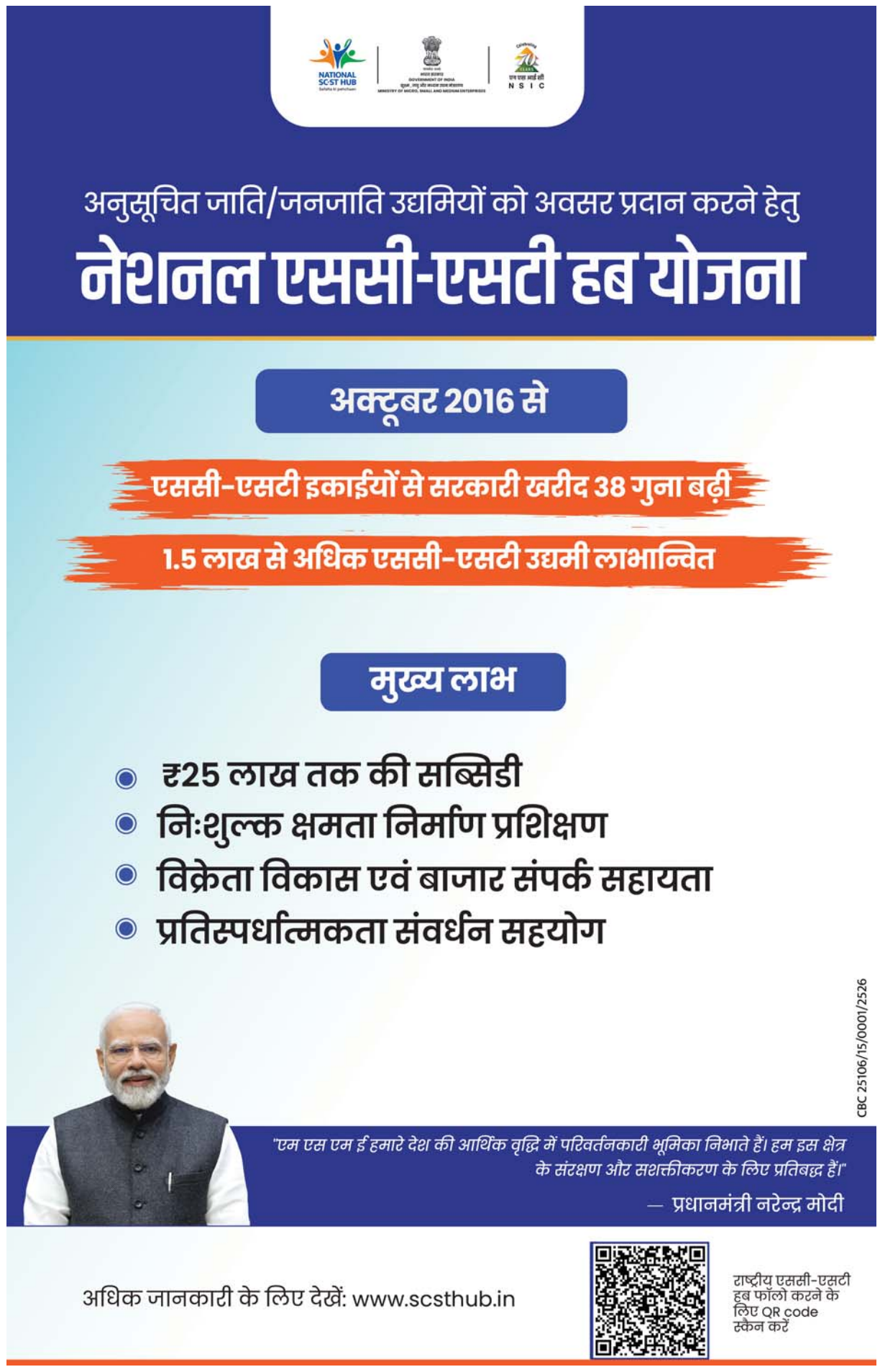
चैन सिंह चौहान
नोटेरी एडवोकेट, भीम
मो. 8005686462